

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-30/2018/ दिनांक:-


अधीक्षक,  
जे. के. लोन,  
जयपुर।

विषय:- चाईल्ड केयर लिव स्वीकृत करने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक 8792 दिनांक 16.08.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित के क्रम में लेख है कि आप द्वारा भिजवायें गये कार्मिको चाईल्ड केयर लिव स्वीकृत करने के सम्बन्ध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक प.1(6)वित्त/नियम/2011 दिनांक 10.9.2018 में बिन्दू संख्या 3 में राजस्थान सेवा नियम 1951 बॉल्यूम-II के परिशिष्ट 9 में 120 दिवस तक का अवकाश स्वीकृत करने के लिये कार्यालयाध्यक्ष सक्षम है। अतः महिला कर्मचारी को 120 दिवस तक का चाईल्ड केयर लिव सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जावेगा। यदि नियम 103 सी (II)के अन्तर्गत चाईल्ड केयर लीव के साथ महिला कर्मचारी द्वारा अन्य देय अवकाश अवधि 120 दिवस से अधिक होने के कारण ऐसा अवकाश विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया जावेगा "


अतः आप 120 दिवस से कम अवधि का अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम है एवं प्राप्त प्रस्ताव आपको स्वीकृति हेतु भिजवायें जा रहे है।

  
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर  
दिनांक:- 20/10/18

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-30/2018/1442

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 2- प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।

  
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर